



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8111 वर्ष 2026

हर विलास एवं 5 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी पक्षकारगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

:सुनील कुमार यादव

विपक्षी पक्षकारगण के अधिवक्ता

:जी.ए.

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका आपराधिक वाद संख्या 2493 वर्ष 2019 (राज्य बनाम हर विलास और अन्य), धारा 406, 420, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- फिरोजाबाद साउथ, जनपद फिरोजाबाद से संबंधित समस्त कार्यवाही को निरस्त करने तथा दिनांक 5.11.2019 के संज्ञान आदेश एवं दिनांक 11.12.2016 के आरोप पत्र को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप पत्र तथा संज्ञान/समन आदेश एवं वर्तमान वाद की समस्त कार्यवाही को मुख्यतः इस आधार पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चुनौती दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, प्रतिवेदित 2024 10 एससीसी 690 में प्रतिपादित विधि के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420 एवं 406 एक साथ एक ही परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं की जा सकतीं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित रूप में पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"38. हमारे विचार में, परिवाद के साधारण अवलोकन से उपर्युक्त वर्णित आवश्यक तत्वों में से किसी का भी उल्लेख नहीं होता है। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि संबंधी एक गंभीर भांति को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि परिवादी का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित आपराधिक न्यासभंग का अपराध, जो धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, किया गया है, तो उसी सांस में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित एवं व्याख्यायित छल का अपराध, जो धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, भी किया है।

41. साधारण अनुबंध के उल्लंघन तथा आपराधिक न्यासभंग एवं छल के अपराध के बीच का अंतर अत्यंत सूक्ष्म होता है। छल के मामले में, अभियुक्त की प्रेरित करने के समय की मंशा का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिसे उसके पश्चात के आचरण से आंका जा सकता है, किन्तु इसके लिए केवल पश्चात का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। मात्र अनुबंध का उल्लंघन, छल के लिए आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् उस समय जब अपराध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जाना कहा गया है, कपटपूर्ण या बेईमान मंशा प्रदर्शित न की जाए। अतः, यही मंशा इस अपराध का सार है।

43. आपराधिक न्यासभंग तथा छल के बीच अंतर है। छल के लिए, झूठे या भ्रामक प्रतिपादन करने के समय अर्थात् प्रारंभ से ही आपराधिक मंशा का होना आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में, मात्र न्यास (संपत्ति का सौंपा जाना) सिद्ध होना पर्याप्त होता है। अतः, आपराधिक न्यासभंग के मामले में, अपराधी को विधिसम्मत रूप से संपत्ति सौंपी जाती है और वह उसे बेईमानी से दुरुपयोग करता है। जबकि, छल के मामले में, अपराधी कपटपूर्ण या बेईमानी से किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसे कोई संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।

55. अब समय आ गया है कि देशभर के पुलिस अधिकारियों को विधि का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे छल तथा आपराधिक न्यासभंग के अपराध के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं भिन्न हैं। एक ही तथ्यों के समूह में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये दोनों प्रावधान ऐसे युग्म नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किन्तु याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस स्थापित विधिक सिद्धांत पर भरोसा किया गया है, उसका खंडन करने में असमर्थ रहे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. चूंकि, याचिकाकर्ता की ओर से केवल विधिक तर्क ही प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस निर्गत करने की प्रक्रिया से इस द्वारा मुक्त किया जाता है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत, वाद अभिलेख का अवलोकन करने पर तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों धाराएं, अर्थात् धारा 420 एवं 406 भारतीय दंड संहिता, एक साथ एक ही परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं हो सकतीं और अतः दिनांक 5.11.2019 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में निर्णय दिनांक 23.08.2024 को पारित किया गया है तथा वर्तमान वाद में अपराध का संज्ञान दिनांक 5.11.2019 को लिया गया है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद कनिष्क सिन्हा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [2025 SCC Online SC 443] में प्रतिपादित विधि के अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सदैव प्रतिप्रभावी (retrospective) प्रकृति का होता है, जब तक कि स्वयं उस निर्णय में यह स्पष्ट रूप से न कहा गया हो कि वह निर्णय भावी प्रभाव (prospective) से लागू होगा।

7. उपरोक्त के दृष्टिगत, आपराधिक वाद संख्या 2493 वर्ष 2019 (राज्य बनाम हर विलास एवं अन्य), धारा 406, 420, 504, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- फिरोजाबाद साउथ, जनपद फिरोजाबाद में पारित दिनांक 5.11.2019 का संज्ञान/समन आदेश केवल वर्तमान याचिकाकर्ता(ओं) के संबंध में निरस्त किया जाता है। प्रकरण को पुनः संबंधित न्यायालय के समक्ष इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) में प्रतिपादित विधि के आलोक में, आवश्यक होने पर, अपराध का संज्ञान लेने के संबंध में नवीन आदेश पारित करे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. तदनुसार, वर्तमान याचिका आंशिक रूप से अनुमन्य की जाती है।

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 25 मार्च, 2026

शाश्वत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।